

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री लालसिंह  
किस्म मुकदमा - हकरसी

विपक्षी :- श्री भंवरसिंह  
पत्रावली संख्या : 18/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

दिनांक : 31.07.2020

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 को पेश हों।

26/8/20 पत्रावली पेश की जाण में तहसीलदार मावली रिपोर्ट जप्त नहीं। बरतकार रहे पत्रावली दिनांक 26/8/20 को पेश की।

30/9/20 पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....28/10/20 को पेश हो।

28/10/20 पत्रावली पेश की जाण में तहसीलदार मावली रिपोर्ट जप्त नहीं। बरतकार रहे। पत्रावली दिनांक 13/1/21 को पेश की।

13/1/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रसफो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....05/5/21 को पेश हो।



515/21  
 पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 18/8/21 को पेश हो

18/8/21  
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्पॉ लपरिथत/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 10/9/21 को पेश हो

10/9/21  
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्पॉ लपरिथत/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 4/10/21 को पेश हो

4/10/21

पत्रावली पेश 5/10/21 को दिनांक, रिडिमीट  
 जो तदानीन माननीय जज के अंतर्गत  
 678 दिनांक 2/10/21 के रिडिमीट की पालना, होकर, बचाया। अतः रिडिमीट की पालना हो जाने से अब उद्भव में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती। अतः पत्रावली इसी तल पर ही पेश की जाती है। पत्रावली के तल पर उद्भव होकर बचाया है।

निरीक्ष पुत्रावा गण